

महाप्रबंधक (एम०एण्डई०) / वरिष्ठ सलाहकार/अपर मिशन निदेशक/मिशन निदेशक

सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अंतर्गत तीन दिवसीय भ्रमण दिनांक 08.02.2018 से दिनांक 10.02.2018 तक निम्न इकाईयों का किया गया। भ्रमण दल में राज्य स्तर से श्री कौशल सिंह बिस्ट, डिओपी०एम० (एम०एण्डई०), एन०एच०एम०, 2. श्री आशीष कुमार मौर्य, परामर्शदाता—एम०आई०एस०, एन०एच०एम० एवं श्री अरुण श्रीवास्तव, कार्यक्रम सम्बयक—एन०य०एच०एम०, एन०एच०एम०रहे। जनपद स्तर से डी०पी०एम०, डी०ए०एम०, डी०डी०एम०, डी०सी०पी०एम० एवं एच०एम०आई०एस० ऑपरेटर साथ रहे।

पं० कमलापति विपाठी जिला संयुक्त चिकित्सालय, चन्दौली

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डा० राम भरोसे पाण्डेय, महिला चिकित्सक डा० श्रुति एवं डयूटी पर तैनात स्टाफ नर्स उपस्थित थे।



- माह जनवरी 18 की एच०एम०आई०एस० रिपोर्ट, दिनांक 08.02.2018 तक इकाई स्तर से फारवर्ड नहीं की गयी थी जबकि जनपद स्तर से रिपोर्ट फारवर्डिंग की समय—सीमा माह की 05 तारीख है। जिला चिकित्सालय, चन्दौली से रिपोर्ट फार्वर्ड कराई गई।
- जनपद स्तर से प्रत्येक माह दिनांक 25 तक मासिक प्रगति रिपोर्ट मैनुअल तैयार की जाती है। तत्पश्चात जनपदीय ए०आर०ओ० द्वारा रिपोर्ट कंपार्इल कर पोर्टल पर डाटा फीड किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं। एम०पी०आर० से डाटा पोर्टल पर अपडेट किया गया है। जबकि मानकानुसार एच०एम०आई०एस० फार्मेट्स पर संबंधित फैसिलिटी का डाटा भरा जाना है। इस सम्बन्ध में शासनादेश का पालन मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय स्तर से नहीं कराया जा रहा है। जनपदीय ए०आर०ओ० को शासनादेश का पालन अक्षरक्ष करने के निर्देश दिये गये।
- ड्राप बैक हेतु एम्बूलेन्स का निरीक्षण करने पर पाया गया की गर्भवती महिला श्रीमती लक्ष्मी जिसका ई०डी०डी० 09.02.2018 पर्चे पर लिखा था उसे जिला चिकित्सालय के चिकित्सक द्वारा अल्ट्रासाउण्ड हेतु 16.02.2018 की तारीख दी गई थी। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को अवगत कराते हुए गर्भवती महिला का अल्ट्रासाउण्ड अविलम्ब कराकर पूर्ण चेकअप उपरान्त घर भेजा गया।



- ब्लड यूनिट का भ्रमण किया गया जिसमें पाया गया कि वर्तमान में ब्लड बैंक में 68 यूनिट रक्त उपलब्ध था। एल0टी0 एवं परामर्शदाता उपस्थित थे। ब्लड बैंक परिसर की साफ सफाई अच्छी थी। एल0टी0 द्वारा अवगत कराया गया कि ब्लड कैप हेतु प्रतिकैम्प 2500 रु0 का बजट वर्ष में 4 से अधिक कैम्प करने पर कम पड़ता है। अतः कैम्पों की संख्या के अनुसार बजट का प्रावधान किया जाना चाहिए। ब्लड बैंक द्वारा 01 अप्रैल 17 से 31 जनवरी 2018 तक 11 कैम्प किये जा चुके थे। एल0टी0 द्वारा बताया गया कि 18 नवम्बर 2017 को ब्लड डोनेशन कैम्प हेतु भेजी गई ब्लड कलेक्शन एवं ट्रांसपोर्टेशन वैन का ए0सी0 टूटा हुआ था एवं फ्रीज खराब था जिस कारण कोल्ड चेन को बनाये रखने हेतु पृथक से आईस बाक्स को ले जाना पड़ा। बी0सी0टी0वी0 का गेट छोड़ा होने के कारण आईस बाक्स वैन में नहीं जा सका। अतः दूसरी गाड़ी से आईस बॉक्स को ले जाना पड़ा। बी0सी0टी0वी0 खाली ही कैम्प स्थल तक गई और वापस आई।



- जिला संयुक्त चिकित्सालय में रसोई घर का निरीक्षण किया गया। हीटर चालू था। रसोई घर में ताला लगा हुआ था। भवन के अत्यधिक पुराना होने के कारण गंदगी व्याप्त थी। रसोई खुलवाई गई। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि भर्ती मरीजों को दो वक्त भोजन दिया जाता है। भोजन का टेण्डर रु0 30 प्रति मरीज है। भोजन हेतु धनराशि स्टेट बजट से प्राप्त होती है। एन0एच0एम0 से भोजन हेतु धनराशि नहीं दी गई है। जिला लेखा प्रबंधक को निर्देशित किया गया कि जिला संयुक्त चिकित्सालय को अविलम्ब भोजन व्यवस्था हेतु जे0एस0एस0के0 मद से धनराशि हस्तांतरित की जाये।



- प्रसव पश्चात महिला वार्ड —** जे0एस0वाई के लाभार्थियों को फार्म फोटोकॉपी करानी पड़ रही थी। डी0पी0एम0 को निर्देशित किया गया कि जे0एस0वाई फार्म को छपवाकर समस्त इकाईयों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। डयूटी पर तैनात स्टाफ नर्स को लेबर रुम रजिस्टर में मासिक सारांश का विवरण भरना सिखाया गया। 102 एवं 108 एम्बूलेंस हेतु इन-आउट रजिस्टर शासनादेश के अनुरूप बनवाने हेतु डी0पी0एम0 को निर्देशित किया गया। आटोकलेव 03 में से 01 कियाशील पाया गया। 02 ऑटोकलेव को ठीक कराने हेतु मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को कहा गया। प्रसव कक्ष के नजदीक महिला वार्ड में सरसों का तेल एवं खुली सिरिंज पायी गयी। स्टॉफ द्वारा सरसों के तेल का प्रयोग डिलीवरी में किये जाने की पुष्टि की गयी। सरसों के तेल को भविष्य में प्रसव कक्ष एवं वार्ड में उपयोग न किये जाने हेतु संबंधित स्टाफ नर्स एवं डयूटी चिकित्सक को निर्देशित किया गया।



100 शैयायुक्त मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग, जनपद चन्दौली



- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डा० केऽसी०सिंह एवं श्री रोहित मेहरोत्रा प्रशासक उपस्थित थे। एम०सी०एच० विंग में 8 पूर्ण कालिक विशेषज्ञ चिकित्सक एवं 75 पैरामेडिकल स्टाफ तैनात हैं। ओ०पी०डी०, ए०एन०सी०/पी०एन०सी०/ प्रसव कक्ष/ऑपरेशन थियेटर/समस्त वार्ड/पैथालाजी एवं रेडियोलाजी कक्ष मानकानुसार व्यस्थित थे। 426 आवश्यक दवाओं के सापेक्ष मात्र 175 दवाइयों की उपलब्धता के कारण केवल ओ०पी०डी० चल रही थी। मुख्य चिकित्साधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की बीच तालमेल के अभाव के कारण दोनों इकाईयों द्वारा एक ही दवाओं का क्य कर एम०सी०एच० विंग को उपलब्ध कराया गया। इन दवाओं से केवल ओ०पी०डी० ही की जा रही थी। 6 आईटम ऐसे मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा आपूर्ति किये गये जो ई०डी०एल के मानकानुसार नहीं थी।



- वार्ड में दो बच्चे 1. अंश 1 माह पु0 निमोनिया से ग्रस्त था, का इलाज भर्ती कर किया जा रहा था। एम०सी०एच० विंग द्वारा इलाज हेतु स्वयं दवा क्य कर इलाज किया जा रहा था। 2. सुश्री मनी 11 वर्ष शारीरिक पीड़ा (विशेषकर थायरियाड) से ग्रस्त थी का इलाज किया जा रहा था।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नौगढ़, जनपद चन्दौली। दिनांक 09 फरवरी 2018



- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नौगढ़ में चिकित्सा अधीक्षक डा० अवधेश सिंह कोर्ट एविडेंस में गये हुए थे। चिकित्सालय में मरीजों की अच्छी उपस्थिति थी। महिला नसबन्दी कैम्प चल रहा था। अब तक 30 महिला नसबन्दी लाभार्थी पंजीकरण करा चुके थे। महिला नसबन्दी लाभार्थियों को फर्श पर बैठाया गया था। अविलम्ब बी०पी०एम० से दरी मंगाकर बिछवाई गई। एल०टी० द्वारा परीक्षण किया जा रहा था।



- डा० नागेन्द्र कुमार एम०बी०बी०एस० प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के दिवस 09 फरवरी 2018 को महिलाओं की जाँच कर रहे थे। एक हाल में ही समस्त गतिविधियों को संचालित किया जा रहा था। चिकित्सक को सहयोग स्वारथ्य शिक्षा अधिकारी कर रही थी। चिकित्सालय में एकमात्र स्टाफ नर्स महिला नसबन्दी में सहयोग कर रही थी। जानकारी करने पर आर०बी०एस०के० टीम की ए०एन०एम० श्रीमती नीतू सिंह को गर्भवती महिलाओं के स्वारथ्य परीक्षण में लगाया गया। कक्ष में जाँच कार्नर तैयार कराया गया। अब तक 15 गर्भवती महिलायें गर्भावस्था की जाँच कराने आ चुकी थी। इस दिवस हेतु एकमात्र बैनर लगाया गया था। अधिकांश दवायें नहीं पाई गई। सभी महिलायें पहली बार दिवस पर आई थीं। दिवस का अनुश्रवण प्रपत्र रिपोर्ट के साथ संलग्न है।
- ब्लाक नौगढ़ में आर०बी०एस०के० की दो टीमें कार्यरत हैं। प्रथम टीम में तीन सदस्य डा० अमित, डा० दिनेश एवं श्री प्रशान्त उपस्थित पाये गये। दूसरी टीम में 4 सदस्य डा० गजानन, डा० नीरज, श्री श्याम एवं सुश्री नीतू सिंह उपस्थित पाये गये। जानकारी में आया है कि प्रथम टीम में चयन के उपरान्त से ही तीन सदस्य काम कर रहे हैं जबकि 4थे सदस्य का वेतन मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा आहरित किया जाता रहा है। दोनों टीमों द्वारा कठिन ब्लाक में भी अच्छा कार्य किया जा रहा है। दोनों टीमों ने अवगत कराया गया कि कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, चन्दौली द्वारा आर०बी०एस०के० में दिये गये दोनों वाहन संख्या UP 67T1320 & UP 67 T 2049 में स्टेयरिंग हिलता है, गेयर बॉक्स झटका देता है। कई बार पहाड़ी इलाके में गाड़ी खराब होने के कारण कूदना भी पड़ा। आये दिन स्टार्ट करने में गाड़ी को धक्का देना पड़ता है। जनपद स्तर से नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा समस्या का समाधान नहीं किया गया। सी०एच०सी० से आर०बी०एस०के० हेतु कोई दवा एवं सामग्री नहीं दी जाती है।
- ओ०पी०डी० कक्ष में चिकित्सक बिना स्टेथसकोप, बी०पी०मशीन के मरीजों को देख रहे थे। ओ०पी०डी० कक्ष में मरीज के बैठने हेतु स्टूल तक उपलब्ध नहीं था। स्टोर से सामान निकलवाया गया। चिकित्सालय में 6 चिकित्सक तैनात हैं किन्तु मरीजों को चिकित्सकीय सेवायें गुणवत्तापरक रूप से नहीं दी जा रही थीं।



- गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों का निःशुल्क रजिस्ट्रेशन हेतु दिशा-निर्देशों का पालन किये जाने को निर्देशित किया गया। ब्लाक में आर०सी०एच० रजिस्टर 02 वर्ष पूर्व के पाये गये। जो कि खराब हालात में पाये गये। वर्ष 2017–18 राज्य स्तर से दिशानिर्देश के बिना ही कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, चन्दौली द्वारा माह नवम्बर 2017 में आर०सी०एच० रजिस्टर को प्रिण्ट दिखाकर भुगतान संपादित करा दिया गया है। जनपद में नवीन रजिस्टरों के छपने की जानकारी किसी को नहीं है।

- एच०एम०आई०एस० / यु०पी०एच०एम०आई०एस० पोर्टल पर रिपोर्ट एम०पी०आर० बनने एवं जनपद स्तर से फाईनल रिपोर्ट बनने के बाद ही अपलोड की जाती है जो कि शासनादेश का उल्लंघन है। बी०पी०एम० नौगढ़ को निर्देशित किया गया कि पोर्टल पर रिपोर्ट निर्धारित अवधि में अपलोड कराना सुनिश्चित किया जाये।
- जे०एस०वाई० लाभार्थियों का भुगतान माह दिसम्बर 2017 से लंबित पाया गया। नसबन्दी होने के उपरान्त वार्ड द्वितीय तल पर होने के कारण मरीज को स्थानान्तरित किया जाता है लेकिन मार्ग में चैनेल होने के कारण मरीज को तेज झटका लगता है। मार्ग को समतल किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।



प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नियामताबाद, जनपद चन्दौली : 10 फरवरी 2018



- एन०डी०डी० कार्यक्रम के अनुश्रवण हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नियामताबाद, चन्दौली का भ्रमण किया गया। प्रभारी चिकित्साधिकारी डा० अभिषेक सिंह एवं बी०पी०एम०य० का समस्त स्टाफ बी०पी०एम० श्री संजय कुमार, बी०सी०पी०एम० श्री अशोक कुमार, बी०ए०एम० श्री अश्विनी पाण्डेय एवं एम०सी०टी०एस० ऑपरेटर श्री विरेन्द्र चौहान, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी श्रीमती प्रतिभा सिंह द्वितीय शनिवार अवकाश का उपभोग कर रहे थे। प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा दूरभाष पर बताया गया कि उनके पिता की अचानक ताबियत खराब होने की वजह से चिकित्सालय नहीं आ पाये। बी०पी०एम०य० के समस्त कर्मियों को मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया गया। सभी ने मोबाइल फोन नॉट रिचेबल कर रखा था। डी०पी०एम० श्रीमती रोली श्रीवास्तव ने बताया कि बी०पी०एम०य० के समस्त स्टाफ को मोबाइल से संपर्क नहीं हो रहा है। जानकारी करने पर पाया गया कि मुख्य चिकित्साधिकारी, चन्दौली द्वारा एन०डी०डी० कार्यक्रम हेतु जनपद स्तर से अनुश्रवण हेतु ब्लाकों को निर्देशित किये जाने का कोई पत्र जारी नहीं किया गया था। माईक्रो प्लान ब्लाक पर उपलब्ध नहीं था।

- एच०एम०आई०एस० / यु०पी०एच०एम०आई०एस० पोर्टल पर रिपोर्ट एम०पी०आर० बनने एवं जनपद स्तर से फाईनल रिपोर्ट बनने के बाद ही अपलोड की जाती है जो कि शासनादेश का उल्लंघन है। ए०आर०ओ० श्रीप्रकाश सिंह द्वारा बताया गया कि एम०पी०आर० मैनुअल न बनाये जाने के संबंध में शासनादेश आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। ऑनलाईन रिपोर्टिंग संबंधी शासनादेश की प्रति ए०आर०ओ० को दिये जाने के निर्देश डी०पी०एम० को दिये गये।
- आर०बी०एस०के० की दोनों टीमें ब्लाक पर उपस्थित थी। अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का वाहन ब्लाक पर उपलब्ध था। लागबुक देखने पर ज्ञात हुआ कि उपलब्ध वाहन से नियमित टीकारण, पल्स पोलिया, जनपद स्तर पर बैठकों में भाग लेने एवं पीने का पानी मुगलसराय से लाने में उपयोग किया जा रहा था। अनुश्रवण हेतु वाहन का उपयोग अत्यधिक कम पाया गया।
- जनपद चन्दौली के शहरी क्षेत्र के दो विधालयों एवं ब्लाक नियामताबाद के तीन विधालयों/ऑगनवाड़ी केन्द्रों पर एन०डी०डी० कार्यक्रम का भौतिक सत्यापन किया गया। इनका विवरण निम्न है।

1. आंगनवाड़ी केन्द्र, ग्राम-खियालगढ़, ब्लॉक-नियामताबाद, जनपद चन्दौली में आंगनवाड़ी कार्यक्रमी को एन०डी०डी० हेतु ट्रेनिंग नहीं प्रदान की गयी। एलमेण्डाजॉल की 63 गोलियाँ पॉलीथीन में थी जिसपर एक्सपाइरी आदि का कोई विवरण नहीं था। एलमेण्डाजॉल की गोली किसी भी लाभार्थी को नहीं खिलायी गयी थी, जबकि प्रपत्र में 50 बच्चों (25 लड़के एवं 25 लड़कियां) द्वारा सेवन करने की सूचना भरी गयी थी। चूंकि आंगनवाड़ी कार्यक्रमी को प्रशिक्षण प्राप्त नहीं था अतः मॉपअप राउण्ड के पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करने एवं स्कूल न जाने वाले बच्चों को प्रशिक्षण उपरान्त गोली खिलाने के निर्देश ए०आर०ओ० को दिये गये। गॉव में ए०एन०एम० टीकाकरण कर रही थी। ए०एन०एम० को जानकारी नहीं थी कि दिनांक 10 फरवरी 2018 को एन०डी०डी० कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल न जाने वाले बच्चों को गोली आंगनवाड़ी कार्यक्रमी द्वारा खिलाई जानी है।



2. आंगनवाड़ी केन्द्र, ग्राम-घूरों, ब्लॉक-नियामताबाद, जनपद चन्दौली एवं डोर टू डोर भ्रमण





आंगनवाड़ी श्रीमती रीता देवी द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र में 42 बच्चों के सापेक्ष 30 बच्चों को एलबन्डाजॉल की गोली खिलाये गई। आंगनवाड़ी को केन्द्र का कोड नहीं मालूम था। पॉच बच्चों यथा माधुरी, आकांक्षा, श्वेता, आदित्य एवं आर्यन द्वारा गोली खिलाये जाने की पुष्टि घर जाकर की गई।

3. प्राथमिक विद्यालय, ग्राम घूरों, ब्लॉक-नियामताबाद, जनपद चन्दौली कोड संख्या 09660800301 में प्रधानाध्यापिका द्वारा बच्चों को एलबंडाजोल की गोली नहीं खिलाई गई थी। संकुल प्रभारी श्री जमुना प्रसाद से प्रधानाध्यापिका की मोबाइल फोन पर वार्ताकराकर विद्यालय में 143 के सापेक्ष उपस्थित 90 बच्चों को मिड डे मिल के बाद एलबंडाजोल की गोली खिलाई गई। बीमार 10 बच्चों को मॉप अप राउण्ड में गोली खिलाये के निर्देश प्रधानाध्यापिका को दिये गये।



प्राथमिक विद्यालय पूर्वी बाजार नं 2, नगर क्षेत्र मुगलसराय, कोड संख्या 09661000301 चन्दौली – शहरी स्वास्थ्य समन्वयक के साथ प्राथमिक विद्यालय पूर्वी बाजार में एन0डी0डी0 कार्यक्रम का भौतिक सत्यापन किया गया। प्रधानाध्यापिका द्वारा विद्यालय में पंजीकृत 91 बच्चों में से उपस्थित 65 बच्चों को एलबंडाजोल की टैबलेट खिलाई गई। तीन बच्चे बीमार थे जिन्हें मॉपअप राउण्ड में गोली खिलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया। उपस्थिति रजिस्टर में गोली खिलाये गये बच्चों के आगे एक सही का निशान दर्ज किया गया। अध्यापकों द्वारा पहले गोली स्वयं खाई गई।



पूर्व माध्यमिक बालिका विद्यालय, नगर क्षेत्र मुगलसराय, कोड संख्या 09661001105 चन्दौली – तत्पश्चात् एक ही परिसर में स्थित पूर्व माध्यमिक बालिका विद्यालय का भ्रमण किया गया। प्रधानाध्यापिका द्वारा 62 छात्राओं के सापेक्ष उपस्थित 41 बालिकाओं को गोली खिलाई गई। दोनों विद्यालयों में 200 गोली का एक पैक दिया गया। प्रधानाध्यापिका द्वारा सुझाव दिया गया कि पैकिंग 100 गोली की हो तो बेहतर होगा।



दिनांक 09 फरवरी 2018 को मुख्य चिकित्साधिकारी डा० पी०के०मिश्रा, वित्त एवं लेखाधिकारी, सहायक शोध अधिकारी से मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में मुलाकात की गई और फीडबैक दिया गया।

1. एम०सी०एच० विंग में दवाओं की आपूर्ति मुख्य चिकित्साधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के एक साथ बैठकर विचार विमर्श करने के कारण हल हो सकती है।
2. एच०एम०आई०एस० / यू०पी०एच०एम०आई०एस पोर्टल पर मासिक रिपोर्ट निर्धारित अवधि में अपलोड किये जाने की आवश्यकता है। मासिक प्रगति रिपोर्ट को मैनुअल तरीके से बनाना बंद कराया जाना चाहिए।
3. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना हेतु प्रत्येक माह की तैयार किये जाने, पी०एम०एस०मा०योजना संबंधी गतिविधियों के सुचारू एवं प्रभावी क्रियान्वयन संबंधी फीडबैक एवं सुझाव दिये गये। आर०बी०एस०के० योजना में ब्लाक नौगढ़ में प्रथम टीम में एक सदस्य के कम होने एवं वेतन पूरा आहरित किये जाने संबंधी बिन्दु पर चर्चा की गई। एन०एच०एम० लिपिक श्री प्रमोद पाण्डेय द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी को बताया गया कि नौगढ़ की एक आर०बी०एस०के० स्टाफ नर्स को सकलडीहा ब्लाक में किसी अन्य गतिविधि हेतु सम्बद्ध किया गया है। मुख्य चिकित्साधिकारी अधिकारी द्वारा फीडबैक पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई। वित्तीय वर्ष 2017–18 में आर०सी०एच० रजिस्टर की प्रिटिंग बिना राज्य स्तरीय गाईडलाइन के छपवा ली गई। भारत सरकार द्वारा रजिस्टर के प्रारूपों में परिवर्तन करने के कारण छपे हुए रजिस्टर उपयोगी नहीं हैं।

राज्य स्तर से निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही कराया जाना प्रस्तावित है।


1. एच०एम०आई०एस० / यू०पी०एच०एम०आई०एस० पोर्टल पर रिपोर्ट अपलोड किये जाने हेतु जारी शासनादेश का कड़ाई से पालन कराये जाने हेतु पत्र महानिदेशक—चिकित्सा स्वास्थ्य एवं महानिदेशक—परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश स्तर से जारी कराया जाना प्रस्तावित हैं जिससे मैनुअल रिपोर्टिंग बन्द हो सके।
2. ब्लड बैंक, जिला संयुक्त चिकित्सालय, चन्दौली द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में 4 से अधिक कैम्प आयोजित किये जाने पर अतिरिक्त कैम्प धनराशि प्रेषित किये जाने की कार्यवाही राज्य समन्वयक—रक्त, एन०सी०डी० सेल द्वारा प्रस्तावित है।
3. ब्लड कलेक्शन ट्रांसपोर्ट वैन, वाराणसी मण्डल में ए०सी० एवं फिज खराब रहते हुए ब्लड बैंक चन्दौली में कैम्प हेतु भेजे जाने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्यवाही एन०सी०डी० सेल से किये जाना प्रस्तावित है।
4. एम०सी०एच० विंग की क्रियाशीलता हेतु ई०डी०एल० अनुसार 426 दवाओं/कंज्यूमेबल्स की आपूर्ति हेतु मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला संयुक्त चिकित्सालय, चन्दौली एवं मुख्य चिकित्साधिकारी, चन्दौली की नियमित समीक्षा बैठक किये जाने हेतु कार्यवाही महाप्रबंधक (प्रोक्योरमेण्ट) स्तर से जारी कराया जाना प्रस्तावित है।
5. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नौगढ़ में मरीजों को नियमित रूप से देखने हेतु प्रत्येक चिकित्सक को स्टेथस्कोप, बी०पी० उपकरण एवं मरीजों को बैठने हेतु स्टूल की सुनिश्चितता हेतु महानिदेशक—चिकित्सा स्वास्थ्य स्तर से मुख्य चिकित्साधिकारी, चन्दौली को पत्र प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है।

6. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत प्रत्येक माह की 9 तारीख की गतिविधियों हेतु पुनः दिशानिर्देश राज्य स्तर से जारी किया जाना प्रस्तावित है।
7. आरोबी०एस०के० टीम, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नौगढ़ में प्रथम टीम में स्टाफ नर्स की तैनाती होने एवं अन्यत्र कार्यक्रम में सम्बद्ध कराने एवं आरोबी०एस०के० का कार्य किये बिना मानदेय का नियमित भुगतान किये जाने के प्रकरण में जनपदीय नोडल अधिकारी—आरोबी०एस०के० पर कठोर कार्यवाही महाप्रबंधक—(आरोबी०एस०के०) स्तर से किये जाना प्रस्तावित है।
8. वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य स्तर से बिना दिशानिर्देश प्राप्त किये आर०सी०एच० रजिस्टर को पुराने प्रारूप पर छपवाने एवं भुगतान किये जाने पर एन०एच०एम० लेखा लिपिक श्री प्रमोद पाण्डेय, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (आर०सी०एच०) पर कठोर कार्यवाही हेतु जिला स्वास्थ्य समिति, चन्दौली को पत्र प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही पुनः आर०सी०एच० रजिस्टर दिशानिर्देश के अनुरूप छपवाने की कार्यवाही हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी, चन्दौली को पत्र प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है।
9. राष्ट्रीय डि वार्मिंग डे दिनांक 10 फरवरी 2018 को ब्लाक पी०एच०सी० नियामताबाद में बी०पी०एम०, बी०सी०पी०एम०, बी०ए०एम० एवं एम०सी०टी०एस० ॲपरेटर द्वारा राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग न लेकर द्वितीय शनिवार के अवकाश का उपभोग करना प्रदर्शित करता है कि उक्त कर्मी राष्ट्रीय कार्यक्रम के प्रति उदासीन, गैर जिम्मेदार एवं कर्तव्यों का निर्वहन करने में अक्षम हैं। अतः इनके विरुद्ध कठोरतम कड़ी कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है। साथ ही प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी द्वारा भी राष्ट्रीय कार्यक्रम के प्रति कर्तव्यों के प्रति उदासीनता बरतने एवं लापरवाही करने का दोषी मानते हुए कठोरतम कार्यवाही हेतु महानिदेशक—चिकित्सा स्वास्थ्य एवं महानिदेशक—परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश को पत्र प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है।

7. आर०वी०एस०के० टीम, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नौगढ़ में प्रथम टीम में स्टाफ नर्स की तैनाती होने एवं अन्यत्र कार्यक्रम में सम्बद्ध कराने एवं आर०वी०एस०के० का कार्य किये विना मानदेय का नियमित भुगतान किये जाने के प्रकरण में जनपदीय नोडल अधिकारी—आर०वी०एस०के० पर कठोर कार्यवाही महाप्रबंधक—(आर०वी०एस०के०) रतार से किया जाना है।
8. वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य स्तर से विना दिशानिर्देश प्राप्त किये आर०सी०एच० रजिस्टर को पुराने प्रारूप पर छपवाने एवं भुगतान किये जाने पर एन०एच०एम० लेखा लिपिक श्री प्रमोद पाण्डेय, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (आर०सी०एच०) पर कठोर कार्यवाही हेतु जिला स्वास्थ्य समिति, चन्दौली को पत्र प्रेषित किया जाना प्ररतावित है। साथ ही पुनः आर०सी०एच० रजिस्टर दिशानिर्देश के अनुरूप छपवाने की कार्यवाही हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी, चन्दौली को पत्र प्रेषित किया जाना है।
9. राष्ट्रीय डिवार्मिंग डे दिनोंक 10 फरवरी 2018 को ब्लाक पी०एच०सी० नियामताबाद में बी०पी०एम०, बी०सी०पी०एम०, बी०ए०एम० एवं एम०सी०टी०एस० ऑपरेटर द्वारा राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग न लेकर द्वितीय शनिवार के अवकाश का उपयोग करना प्रदर्शित करता है कि उक्त कर्म राष्ट्रीय कार्यक्रम के प्रति उदासीन, गैर जिम्मेदार एवं कर्तव्यों का निर्वहन करने में अक्षम है। अतः इनके विरुद्ध कठोरतम कड़ी कार्यवाही की जानी प्ररतावित है। साथ ही प्रगारी चिकित्साधिकारी एवं स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी द्वारा भी राष्ट्रीय कार्यक्रम के प्रति कर्तव्यों के प्रति उदासीनता घरतने एवं लापरवाही करने का दोषी मानते हुए कठोरतम कार्यवाही हेतु महानिदेशक—चिकित्सा स्वास्थ्य एवं महानिदेशक—परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश को पत्र प्रेषित किया जाना है।


Dr. P.C. Nuhm


A.K. Mehta
TC-MIS


(K.S. Patnaik)
Dr. K.S. Patnaik
Dr. K.S. Patnaik